कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म0प्र0)

:आदेश:

रीवा दिनांक 07 अगस्त 2020

क्रमांक/855/प्रवा0कले0/2020:मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10–02/2020/2017 मेडी–2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवेल कोरोना वॉयरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प्र. स/स्वास/सत्रह/मेडि–3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:–

1. गुढ़ क्षेत्र में पाये गये COVID-19 संक्रमित पॉजिटिव केस के घरों की जानकारी निम्नानुसार है।

स.क.	स्थान का नाम
1	ग्राम गुढ़ वार्ड क्रमांक 11 में भैयालाल सोनी के घर से रामप्रसाद साहू के घर तक कुल 07 घर तक तहसील गुढ़ जिला रीवा

2. इस घर को Epicenter घोषित करते हुये ग्राम गुढ़ वार्ड क्रमांक 11 में भैयालाल सोनी के घर से रामप्रसाद साहू के घर तक कुल 07 घर तक तहसील गुढ़ जिला रीवा तक को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा।

3. कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemices Diseases Covid-19 Regulation 2020 अन्तर्गत उक्त कंट्नेमेन्ट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है:–

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	जनपद अधिकारी	पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारी
ग्राम गुढ़ वार्ड क्रमांक 11 में भैयालाल सोनी के घर से रामप्रसाद साहू के घर तक कुल 07 घर तक तहसील गुढ़ जिला रीवा	श्रीमती फरहीन खान अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग गुढ़ मो. नम्बर 9424900873	श्री सौरभ द्विवेदी प्रभारी तहसीलदार तहसील गुढ मो.नं. 9399149375	श्री बहादुर सिंह अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मो. न. 9399289299	श्री प्रदीप दुबे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जन. पं. रायपुर कर्चु. मो. न. 8719000473	श्री के. के. गर्ग अनुविभागीय अधिकारी पी. डब्ल्यू. डी. रायपुर कर्चु. मो. न. 9630040999

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

कृ0प0उ0

Scanned with CamScanner

4. कंटेनमेन्ट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉक्टर कल्याण सिंह मो. नं. 7987068874 नोडल अधिकारी रहेंगे। तथा सहायक नोडल, श्रीमती रीता द्विवेदी आईसीडीएस मो. नं. 8719078796 रहेंगी।

कंटेनमेंट ऐरियाः—

1. कंटेनमेंट ऐरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। सन्दर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है उसका सही तरीके से कियान्वयन हो सकेगा। अतः कंटेनमेंट ऐरिया के अन्दर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
2. कन्टेंमेट ऐरिया को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष रेपिड रिस्पांस टीम/मेडिकल मोबाईल यूनिट का गठन किया जायेगा, जो प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर हो।
4. उक्त क्षेत्र के एंडी एक्जिट पांईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्कीनिंग की जायेगी।
5. ग्राम गुढ़ वार्ड कमांक 11 के फ्रंटलाईन कार्यकर्ता/एपीसेन्टर द्वारा भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट डॉक्टर कल्याण सिंह मो. नं. 7987068874 जो अनिवार्यतः उपलब्ध करायेंगे, तथा डां0 बंसत अग्निहोत्री, जिला टीकाकरण अधिकारी नोडल आफिसर मो.नं. 9425185810 से समन्वय स्थापित करेगें।
6. समस्त टीम COVID-19 सरपेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खासी स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
7. समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके।
8. जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के फर्स्ट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
9. आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संकमित की कॉटेक्ट ट्रेसिंग करते हुये समस्त संबंधितो (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
10. जनपद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।
11. सस्पेक्टेड केस आर.आर.टी./एम.एम.यू. द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हीत कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटेकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकोल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म0प्र0)

कृ0प0उ0

Scanned with CamScanner

रीवा, दिनांक 7 अगस्त 2020

क्रमांक/885/प्रवा.कले./2020

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
6. कमिश्नर, रीवा सम्भाग, रीवा की ओर सूचनार्थ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
10. पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ कार्यवाही हेतु।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी,(समस्त) तहसील.....................की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रीवा।
15. जिला अपूर्ति अधिकारी, जिला रीवा।
16. नगर पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. रैपिड रिस्पांस टीम एवं मेडिकल मोबाईल टीम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. स्टेनो/टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर, रीवा।
19. संबंधीजन श्री.. की ओर पालनार्थ।
20. सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म0प्र0)

:आदेश::

रीवा, दिनांक 07 अगस्त 2020

कमांक/855/प्रवा0कले0/2020:मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र कमांक/एफ 10-02/2020/17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07.03.2020 के परिप्रेक्ष में म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक/आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क/प्र.स./स्वास/सत्रह/ मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23.03.2020 द्वारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है। मैं इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्सन 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पाजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम गुढ़ वार्ड क्रमांक 11 में भैयालाल सोनी के घर से रामप्रसाद साहू के घर तक कुल 07 घर तक तहसील गुढ़ जिला रीवा को कन्टेनमेन्ट एरिया घोषित किया जाता है। क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार अधिकारियो/कर्मचारियो के कर्तव्य निश्चित किये जाते है:-

सर्वेक्षण दल

दल क0	नाम	पद	मोबाइल नम्बर	सर्वेक्षण स्थल
1	श्रीमती अनीशा खान	आशा कार्यकर्ता	8349142522	ग्राम गुढ़ वार्ड क्रमांक 11 में भैयालाल सोनी के घर से रामप्रसाद साहू के घर तक कुल 07 घर तक तहसील गुढ़ जिला रीवा
	श्रीमती अखिलेश सिंह	आगनवाडी कार्यकर्ता	9981316057	

पर्यवेक्षण दल

क0	नाम	पद	मो0 नम्बर
1	श्री आशुतोष त्रिपाठी	एम.पी. डब्ल्यू.	9755188475

रिर्जव दल

क0	नाम	पद	मोबाइल नम्बर
1	श्रीमती नन्दा शर्मा	एएनएम	9399706393

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

कृ0प0उ0

Scanned with CamScanner

उपरोक्त कार्यवाही हेतु अधिकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय रायपुर कर्चु0 नियंत्रण कक्ष रहेगा। नियंत्रण कक्ष की सभी व्यवस्था डॉ. अखिलेश सिंह खण्ड चिकित्सा अधिकारी रायपुर कर्चु0 करेंगें। डॉ0 कल्याण सिंह चिकित्सा अधिकारी कन्टेनमेन्ट क्षेत्र में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य देखेगे तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट सुपरवाईजर के माध्यम से प्राप्त कर खण्ड कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दोपहर 03 बजे के पूर्व प्रेषित करेंगे।

(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म0प्र0)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

पृ0क्र0/855/प्र0 कले0/2020

रीवा, दिनांक 7 अगस्त 2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय दंण्डाधिकारी अनुभाग गुढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. रेपिड रिस्पांस टीम/मेडिकल मोबाईल यूनिट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. स्टेनो टू कलेक्टर/स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
11. संबंधीजन श्री .... की ओर आदेश सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला रीवा (म0प्र0)

Scanned with CamScanner